ऑनलाईन आवेदन की प्रकिया

नोटः.– संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अब सोसाइटियों का पंजीयन व राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी पंजीयन **ऑनलाईन** ही होगा।

आवेदन के प्रकार	
1.	2.
संस्था, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीयन	राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी पंजीयन
विशेष विवरण, दस्तावेजों की सूची, शुल्क का विवरण, समयसीमा व आनलाइन फॉर्म के लिये परिशिष्ट–1	*विशेष विवरण, दस्तावेजों की सूची, शुल्क का विवरण, समयसीमा व आनलाइन व फॉर्म के लिये परिशिष्ट–2*

उक्त दोनों प्रकार के आवेदनों के लिये निम्न प्रकिया है–

विशेष नोट

आवेदन करने से पूर्व ऑनलाईन बी.आर.एन. (Buisness Registration No.) प्राप्त करें। BRN No. आप http://br.raj.nic.in/ पोर्टल से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

स्टेप 1	पंजीकरण का इच्छुक आवेदक ऑनलाईन पंजीकरण की सुविधा का लाभ निम्नानुसार तीन विभिन्न प्रकार से प्राप्त कर सकता है –
	(क) स्वयं इन्टरनेट पर द्वारा।
	(ख) ई–मित्र कियोस्क पर जाकर।
	(ग) SSO ID के माध्यम से

<table>
<tr><td>स्टेप 2</td><td>Rajasthan Single Sign on (https://sso.rajasthan.gov.in/signin)
पर अपना अकाउन्ट बनाकर लॉगिन करें

उक्त सुविधा हेतु एक लिंक विभागीय वेबसाईट http://rajcooperatives.nic.in/ के होम पेज पर दाहिनी ओर उपर की तरफ भी उपलब्ध है।

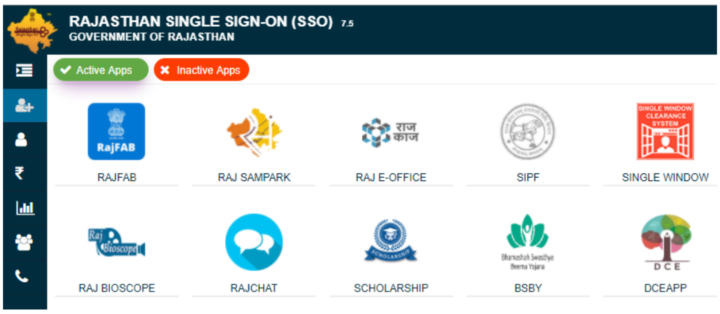
</td></tr>
<tr><td>स्टेप 3</td><td>सिंगल विण्डों क्लियरेन्स सिस्टम (single window clearance system) के आइकन पर क्लिक करें

</td></tr>
<tr><td>स्टेप 4</td><td>फॉर्म को भरें</td></tr>
<tr><td>स्टेप 5</td><td>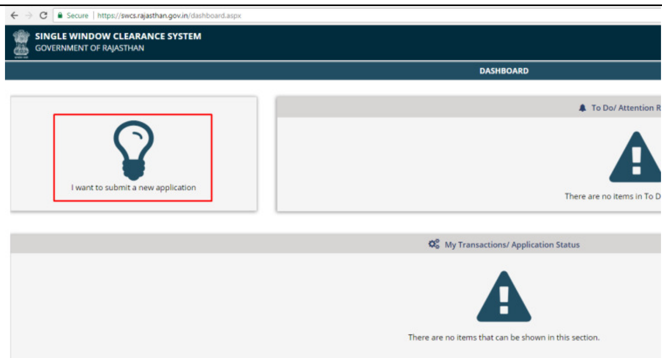

बटन को क्लिक करें</td></tr>
</table>

स्टेप 6

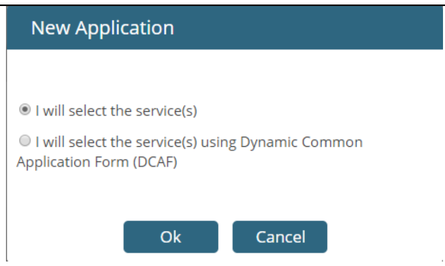

स्टेप 7

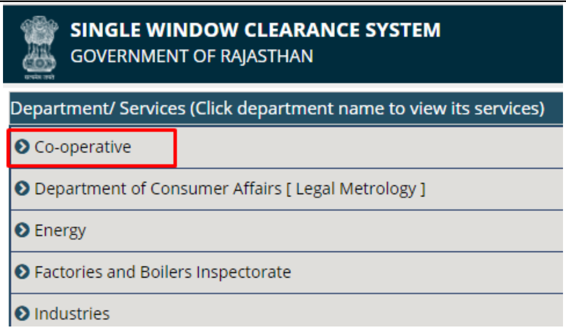

स्टेप 8

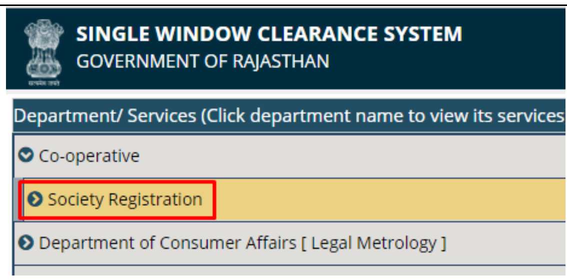

स्टेप 9

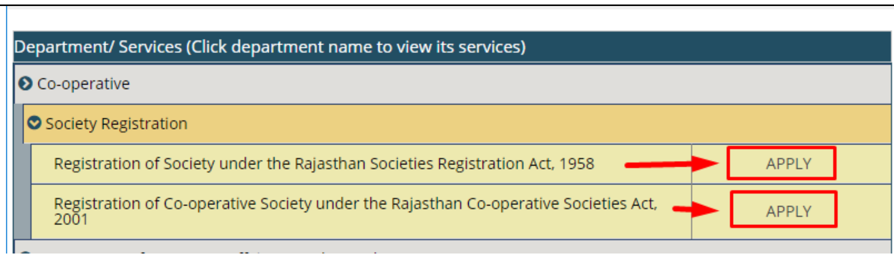

सहकारिता विभाग से सम्बंधित दो लिंक उपलब्ध हैं।

Registration of Society under the Rajasthan Societies Registration Act, 1958/ राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत सोसाइटी का पंजीकरण

के लिये परिशिष्ठ–1 देखें

Registration of Co-operative Society under the Rajasthan

	Co-operative Societies Act, 2001/ राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी का पंजीकरण
	के लिये परिशिष्ठ–2 देखें
स्टेप 10	ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन जमा करें। आपके आवेदन की यूनिक आई डी प्राप्त होगी ।
स्टेप 11	1) संस्था पंजीयन अधिनियम, 1958 के मामले में आवेदन पूर्ण पाये जाने पर पंजीयन शुल्क जमा करने के लिए आदेश ऑनलाइन आपके पास भेजा जावेगा।
	2) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के मामले में आवेदन पूर्ण पाये जाने पर हिस्सा राशि एवं प्रवेश शुल्क जमा कराने के लिए आवेदन ऑनलाईन आपके पास आयेगा।
स्टेप 12	1) संस्था पंजीयन अधिनियम, 1958 के मामले में पंजीयन शुल्क ऑनलाईन जमा करें।
	2) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के मामले में हिस्सा राशि एवं प्रवेश शुल्क बैंक में जमा करवाकर, उसकी रशीद अपलोड करे।
स्टेप 13	ऑनलाइन सर्टिफिकेट डाउनलोड करें
स्टेप 14	आवेदन की यूनिक आई डी द्वारा थर्ड पार्टी ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकती है।

संस्था, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीयन

आवेदन का उद्देश्य व नियमों की जानकारी

संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 1–ख के प्रावधानानुसार किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक, या पूर्त प्रयोजन के लिए या किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो धारा 20 में वर्णित है, सहयुक्त कोई सात या अधिक व्यक्ति एक संगम के ज्ञापन में अपने नाम हस्ताक्षरित करके और उसे रजिस्ट्रार के पास दाखिल करके इस अधिनियम के अधीन अपने आपको सोसाइटी के रूप में गठित कर सकेंगे।

उक्त अधिनियम की धारा 2(1) के प्रावधानानुसार संगम के ज्ञापन में निम्नलिखित बाते होंगी, अर्थात्–

(क) सोसाइटी का नाम,

(ख) सोसाइटी के उद्धेश्य,

(ग) परिषद्, समिति या अन्य शासी निकाय के, जिनको कि सोसायटी के नियमों और विनियमों द्वारा उसके काम–काज का प्रबन्ध सौपा गया है, व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों, सदस्यों (जिस किसी भी नाम द्वारा उन्हें पदाविहित किया जावे) के नाम, पते और उपजीविकाएं।

साथ ही उक्त अधिनियम की धारा 2(2) में प्रावधान है कि सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति जो शासी निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों में से तीन से अन्यून द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित हो, संगम के ज्ञापन के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

पंजीयन शुल्क –

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.4(5)सह/1991/पार्ट जयपुर, दिनांक 03.05.2012 एवं 29.05.2017 के द्वारा उक्त अधिनियम में पंजीकृत होने वाली विभिन्न संस्थाओं हेतु निम्नानुसार पंजीयन शुल्क निर्धारित किया हुआ है –

(i)	गौ सेवा समितियों का पंजीयन शुल्क	100/–
(ii)	राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत सेक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट सोसायटी, जलधारा समितियों, भू–जल संरक्षण विभाग के अन्तर्गत वाटर शेड्स कार्यक्रम की क्षेत्रीय समितियों का पंजीयन शुल्क	500/–
(iii)	नेहरू युवा मण्डलों का पंजीकरण शुल्क	250/–
(iv)	राजीव गांधी यूथ क्लबों का पंजीयन शुल्क	250/–
(v)	राजकीय विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति (SMC) और विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति (SMDC) का पंजीयन शुल्क	250/–

www.rajteachers.com

(vi)	अन्य समस्त संस्थायें	10,000 / —

1. **आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची व ध्यान रखने योग्य बातें—**

1. सभी आवेदक एवं शासी निकाय (कार्यकारिणी) सदस्यों के आधार अथवा भामाशाह कार्ड संख्या
2. संस्था के उद्देश्य
3. संस्था के नियम एवं विनियम
4. विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध प्रारूप में आवेदकों की सुविधा हेतु प्रस्तावित सोसाइटी के ''उद्देश्य'' (objects) एवं ''नियम और विनियम'' (Rules and Regulations) का सुझावात्मक प्रारूप डाउनलोड किये जा सकने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। आवेदक चाहे तो स्वयं के स्तर से अधिनियम के प्रावधानों से सुसंगत रहकर तैयार किये गये ''उद्देश्य'' एवं ''नियम और विनियम'' तीन पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित रूप में पी.डी.एफ. फॉर्मेट में ऑनलाईन आवेदन के साथ यथास्थान अपलोड कर सकते हैं।
5. ऑनलाईन पंजीयन हेतु संस्था के सभी आवेदक सदस्यों एवं कार्यकारिणी सदस्यों के आधार कार्ड नंबर अथवा भामाशाह कार्ड नंबर अनिवार्य होंगे जो ऑनलाईन आवेदन में भरने होंगे। ऐसे भामाशाह / आधार कार्ड का ओ.टी.पी. (one time password) संबंधित मोबाईल नम्बर पर प्राप्त कर उसको ऑनलाईन पंजीयन हेतु फीड करना होगा, ताकि आवेदन पत्र भरा जा सके।

3. **संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ऑनलाईन संस्था पंजीयन हेतु विभागीय स्तर पर अपनाई जाने वाली चरणबद्ध प्रकिया —**

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन सर्वप्रथम पंजीकरण अधिकारी के पास जो कि ऑनलाईन ही संबंधित लिपिक को संदर्भित किया जायेगा।
2. विभागीय परीक्षण में आपत्ति पायी जाने पर आपत्ति सहित आवेदन आवेदक के पास ऑनलाईन लौटा दिया जायेगा।
3. आवेदक द्वारा आपत्ति पूर्ण करने पर व संशोधित आवेदन सही पाये जाने पर आवेदक को पंजीकरण शुल्क की मांग ऑनलाईन की जावेगी।
4. आवेदक द्वारा ऑनलाईन पंजीकरण शुल्क जमा करा दिये जाने पर पंजीकरण अधिकारी पंजीयन प्रमाण—पत्र एवं संस्था के विधान पर अपने डिजीटल हस्ताक्षर करेगा, जो कि ऑनलाईन ही डिजीटल रजिस्टर में संधारित हो जाएगा।
5. इसके पश्चात् आवेदक डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त पंजीयन प्रमाण—पत्र एवं संस्था के पंजीकृत विधान की प्रति ऑनलाईन डाउनलोड कर सकेगा।
6. आवेदक किसी भी समय अपने यूजर डैशबोर्ड पर अपने आवेदन के संबंध में अद्यतन स्थिति की ऑनलाईन जानकारी प्राप्त कर सकेगा।

www.rajteachers.com

7. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन हो जाने पर आवेदक संबंधित रजिस्ट्रार, संस्थायें के डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त कार्यकारिणी की सूची, संस्था के सदस्यों की सूची, नियमों–विनियमों एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति ऑनलाईन प्राप्त कर सकेगा, जिन पर क्यू.आर. कोड भी अंकित होगा।
8. कोई भी व्यक्ति/संस्था (थर्ड पार्टी) क्यू.आर. कोड को स्कैन करके प्रमाण पत्र का ऑनलाईन वेरिफिकेशन कर सकता है।
9. **पूर्ण आवेदन के अनुमोदन की समयसीमा की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है।**

www.rajteachers.com

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

Registration of Society under the Rajasthan Societies Registration Act, 1958/ राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत सोसाइटी का पंजीकरण

A. Society Details / सोसाइटी विवरण

Name of Proposed Society/ प्रस्तावित सोसायटी का नाम*: ASHISH

Society Type/ सोसाइटी का प्रकार*: --Select Society Type--

Upload Objects/ उद्देश्य अपलोड करें (File Type - PDF upto 5MB)*
DOWNLOAD (Suggestive Format/ अनुशन्सित प्रारूप) Choose File No file chosen

Upload Rules & Regulations/ नियम और विनियम अपलोड करें (File Type - PDF upto 5MB)*
DOWNLOAD (Suggestive Format/ अनुशन्सित प्रारूप) Choose File No file chosen

Personal Details of Applicant (Secretary or Equivalent)/ आवेदक (सचिव या समतुल्य) का व्यक्तिगत विवरण

First Name/ पहला नाम*: ASHISH

Last Name/ अंतिम नाम*: PUNIA

Date of Birth/ जन्म की तारीख*: 02/07/1989

Gender/ लिंग: Male/ नर, Female/ महिला, Other/ अन्य

Address

Urban/ Rural/ शहरी/ ग्रामीण: Urban/ शहरी, Rural/ ग्रामीण

House Number/ हाउस / बिल्डिंग नंबर: 233

Lane/ Street Name/ लेन / सड़क का नाम*: TEST

Locality/ मोहल्ला*: TEST

State/ राज्य*: RAJASTHAN

District/ जिला*: JAIPUR/ जयपुर

City/ शहर*: JAIPUR/ जयपुर

Ward/ वार्ड*: WARD NO- 10/ वार्ड नं: - 10

PIN Code/ पिन कोड*: 302017

Telephone Number With STD Code/ एसटीडी कोड के साथ टेलीफोन नंबर: ENTER TELEPHONE NUMBER WITH STD CODE

Fax Number With STD Code/ एसटीडी कोड के साथ फैक्स नंबर: ENTER FAX NUMBER WITH STD CODE

Mobile/ मोबाइल*: 9828517711

E-Mail Address/ ईमेल पता*: ASHISHPUNIA88@GMAIL.COM

Details of Registered Office of the Society/ सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय विवरण

Urban/ Rural/ शहरी/ ग्रामीण: Urban/ शहरी, Rural/ ग्रामीण

House/ Building Number/ हाउस / बिल्डिंग नंबर: 233

Lane/ Street Name/ लेन / सड़क का नाम*: TEST

Locality/ मोहल्ला*: TEST

State/ राज्य: RAJASTHAN

District/ जिला*: JAIPUR/ जयपुर

City/ शहर*: JAIPUR/ जयपुर

Ward/ वार्ड*: -- Select Ward --

PIN Code/ पिन कोड: 302017

Area of Operations of the Society/ सोसाइटी का कार्यक्षेत्र*

AREA OF OPERATIONS OF THE SOCIETY

B. Name of general members of the society/ सोसाइटी के सामान्य सदस्य के नाम (Minimum 7 Members required)

Verification Add Remove

Sl. No./ क्र.सं	Post/ पद	Aadhaar No/ आधार संख्या	Photo/ चित्र	Name/ नाम	Complete Address/ पूर्ण पता	Gender/ लिंग	DOB/ जन्म तिथि	Occupation/ व्यवसाय	Is Also an Elected Member/ क्या निर्वाचित सदस्य भी है ?	Action
1	PRESIDENT/ अध्य	AADHAAR NUI		NAME	COMPLETE ADDRESS	GENDER	DOB	OCCUPATIC	☐	☑
2	SECRETARY/ सचि	AADHAAR NUI		NAME	COMPLETE ADDRESS	GENDER	DOB	OCCUPATIC	☐	☑
3	TREASURER/ कोष	AADHAAR NUI		NAME	COMPLETE ADDRESS	GENDER	DOB	OCCUPATIC	☐	☑
4	POST	AADHAAR NUI		NAME	COMPLETE ADDRESS	GENDER	DOB	OCCUPATIC	☐	☑
5	POST	AADHAAR NUI		NAME	COMPLETE ADDRESS	GENDER	DOB	OCCUPATIC	☐	☑
6	POST	AADHAAR NUI		NAME	COMPLETE ADDRESS	GENDER	DOB	OCCUPATIC	☐	☑
7	POST	AADHAAR NUI		NAME	COMPLETE ADDRESS	GENDER	DOB	OCCUPATIC	☐	☑

I do hereby declare and state that -
1- the above cited applicant members are applying for registration of our proposed society with the name given above.
2- so far, there is no society registered with the aforesaid name in this area and on the address given in our application form. The applicant members are not members/office bearers of any other society having similar objects.
3- The society has been formed to achieve the objects mentioned in the Rules and Regulations of the proposed society in its area of operation, as mentioned in the application for registration.
4- The objects mentioned in the Rules and Regulations of the proposed Society are in accordance with section 20 of the Societies Registration Act, 1958, and the society or its members/office bearers shall not have any profit motive in formation or working of the society.
5- The proposed society has not been constituted for advancement of any commercial activities or for earning of personal profit and that the members will not get any profit/dividend from the society.
6- The proposed society shall not be involved in any commercial activities nor shall its members have any profit interests involved in the formation or the working of the society.
7- If at any time, it is found that any of the aforesaid declarations are violated, the Registrar, Societies shall be empowered to cancel the registration of our society.
I, do hereby verify that the aforesaid contents of the above declaration are true and correct to the best of my personal knowledge. Nothing material has been concealed and no part of it is false.

मै, एतदद्वारा, घोषणा करता हूँ कि:-
1- हमारी प्रस्तावित संस्था के पंजीयन हेतु उपरोक्त आवेदक सदस्य हैं।
2- हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई और संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं है।
3- प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।
4- सोसाइटी के उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं, जिनके अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
5- प्रस्तावित संस्था किसी प्रकार की कोई व्यावसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई है और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6- प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यावसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
7- यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थायें को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।
मैं घोषित करता हूँ कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य में मेरी जानकारी से सही हैं, तथा इनमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

☐ **I/we do hereby declare that the above statement is true and correct to the best of my/our knowledge and belief./ मैं / हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त कथन मेरे / हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है|**

Partial Save | Submit | Close

www.rajteachers.com

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी पंजीयन

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 5(1)(क) के प्रावधानानुसार कम से कम पन्द्रह व्यक्ति, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति भिन्न कुटुम्ब का सदस्य हो, अपने आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए सहकारी समिति के गठन हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा गठित समिति प्राथमिक सहकारी समिति के रूप में गठित की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 5(1)(ख) के प्रावधानानुसार कम से कम पांच सहकारी सोसाइटियां किसी केन्द्रीय अथवा यथास्थिति शीर्ष सहकारी सोसाइटी के गठन हेतु आवेदन कर सकती हैं। प्राथमिक, केन्द्रीय एवं शीर्ष सहकारी समितियों का पंजीयन क्रमशः इकाई स्तर पर पदस्थापित उप रजिस्ट्रार, खण्डीय स्तर पर पदस्थापित अतिरिक्त रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान के स्तर से किया जाता है।

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के नियम 8 में वर्णित वर्गों में से किसी एक वर्ग में वर्गीकृत की जाती है तथा सोसाइटी को जिस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, उसके लिए न्यूनतम हिस्सा राशि भी उस वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम हिस्सा राशि के अनुरूप ही होगी।

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित सोसाइटी की उपविधियां संलग्न की जायेंगी। सोसाइटी की उपविधियों की विषयवस्तु सहकारिता अधिनियम की अनुसूची–'ख' में वर्णितानुसार रहेगी। जिन सहकारी सोसाइटियों में विभाग द्वारा आदर्श उपविधियां जारी की हुई हैं, उन सोसाइटियों के पंजीयन हेतु ऐसी आदर्श उपविधियां ही संलग्न की जानी अपेक्षित हैं, जो विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

प्राप्त आवेदन पत्र का संबंधित पंजीकरण अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जायेगा तथा यदि प्रस्तावित समिति उसके प्रस्तावित कार्यक्षेत्र में सुस्थ कारोबार (Sound business) की अपेक्षाओं का पालन करती है, अधिनियम एवं नियमों के उपबन्धों का पालन करती है, उसकी उपविधियां नियम एवं अधिनियम के प्रतिकूल नहीं है तथा प्रस्तावित सोसाइटी के उद्देश्य सामाजिक न्याय, सहकारिता और लोक सदाचार के सिद्धान्तों एवं प्रदेश की विधियों के अनुरूप है, तो आवेदकों को समिति के वर्ग के अनुसार लागू हिस्सा राशि बैंक में जमा करवाये जाने हेतु निर्देश जारी करेगा तथा आवेदकों द्वारा निर्धारित हिस्सा राशि एवं सदस्यों के प्रवेश शुल्क की रसीदों की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने की स्थिति में पंजीकरण अधिकारी द्वारा समिति के पंजीयन संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

www.rajteachers.com

(1) ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नांकित सूचनायें होना आवश्यक है, जो कि ऑनलाईन आवेदन पत्र में निम्नानुसार यथास्थान भरी जानी है/अपलोड की जानी हैं –

(क) प्रस्तावित सोसाइटी का नाम

(ख) सोसाइटी का प्रकार (प्राथमिक/केन्द्रीय/शीर्ष में से एक का चयन करना है)

(ग) सोसाइटी का व्यवसाय

(घ) दायित्व (परिसीमित/अपरिसीमित में से एक का चयन करना है)

(ड.) परिसीमित दायित्व होने की दशा में सदस्यों का दायित्व

(च) प्रस्तावित सोसाइटी का वर्ग एवं उपवर्ग (इस हेतु यथास्थान दिये गये लिंक (drop down window) पर क्लिक करने के उपरान्त खुलने वाली एक्सेल शीट में उपलब्ध विकल्पों से एक का चयन करना है)

(छ) सोसाइटी के आवेदक सदस्यों की कुल संख्या

(ज) सोसाइटी के सदस्यों की सूची (यथास्थान उपलब्ध प्रोफार्मा में अपलोड की जानी है)

(झ) यदि सोसाइटी की कोई सदस्य समिति है, तो ऐसी सदस्य समिति की ओर से हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का विवरण। (अपलोड किया जाना है)

(ञ) सेवा सहकारी समितियों के मामले में कमजोर वर्ग की सूची (अपलोड की जानी है)

(ट) एकत्रित प्रवेश शुल्क राशि का विवरण

(ठ) हिस्सा राशि का विवरण

(ड) सोसाइटी की उपविधियां (अपलोड की जानी हैं)

(ढ) समिति के आर्थिक रूप से सक्षम होने संबंधी कार्ययोजना (अपलोड की जानी है)

(ण) साधारण बैठक की तिथि

(त) साधारण बैठक में सम्मिलित सदस्यों की संख्या

(थ) साधारण बैठक का कार्यवाही विवरण (अपलोड किया जाना है)

(द) सोसाइटी का तुलन पत्र (यथास्थान उपलब्ध एक्सेल शीट में अपलोड किया जाना है)

(ध) सोसाइटी की ओर से आवेदन करने वाले अधिकृत आवेदक का व्यक्तिगत विवरण।

(न) पंजीकृत कार्यालय का विवरण

(प) सोसाइटी का कार्यक्षेत्र

(फ) सोसाइटी के नामित पदाधिकारियों का विवरण (यथास्थान उपलब्ध कॉलम में सूचना भरी जानी है)

(2) ऑनलाईन पंजीयन हेतु सोसाइटी के न्यूनतम 15 आवेदक सदस्यों एवं कार्यकारिणी सदस्यों के आधार कार्ड नंबर अथवा भामाशाह कार्ड नंबर अनिवार्य होंगे, जो ऑनलाईन आवेदन में भरने होंगे।

(3) आवेदकों को ऐसे भामाशाह/आधार कार्ड का ओ.टी.पी. (one time password) संबंधित मोबाईल पर प्राप्त कर उसको ऑनलाईन पंजीयन हेतु फीड करना होगा, ताकि आवेदन पत्र भरा जा सके।

(4) ऑनलाईन पंजीयन के माध्यम से संस्था को बी.आर.एन. (Buisness Registration No.) भी प्रदत्त किया जायेगा।

(5) प्राप्त आवेदन पत्र संबंधित पंजीकरण अधिकारी द्वारा अपने संबंधित लिपिक को अग्रेषित किया जायेगा, जो प्राप्त आवेदन के साथ अपलोड किये गये पत्रादि का परीक्षण करेगा तथा यदि कोई कमी पाई जाती है, तो वह पंजीकरण अधिकारी को आक्षेप का विवरण प्रस्तुत करेगा, जिससे कि पंजीकरण अधिकारी द्वारा आवेदक को ऑनलाईन ही सूचित किया जायेगा।

(6) लिपिक द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त यदि आवेदन पत्र पूर्ण पाया जाता है तो लिपिक द्वारा आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु निरीक्षक को अग्रेषित किया जायेगा, जो कि आवेदन पत्र का सहकारिता अधिनियम, नियमों एवं समय समय पर जारी विभागीय दिशा निर्देशों के आलोक में परीक्षण करेगा तथा साथ ही प्रस्तावित सोसाइटी की आर्थिक सक्षमता के संबंध में भी अपनी टिप्पणी अंकित करेगा।

(7) निरीक्षक द्वारा प्रस्तावित सोसाइटी का सहकारिता अधिनियम एवं नियमों के आलोक में परीक्षण किये जाने पर यदि कोई आक्षेप पाया जाता है, तो इस संबंध में पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से आवेदक को ऑनलाईन ही अवगत करवाया जावेगा।

(8) प्रस्तावित आवेदन पत्र पंजीकरण योग्य पाये जाने की स्थिति में निरीक्षक द्वारा आवेदन को पंजीकरण अधिकारी को अपनी टिप्पणी से अवगत कराते हुए अग्रेषित किया जायेगा।

(9) तत्पश्चात् पंजीकरण अधिकारी द्वारा आवेदकों को समिति के वर्ग के अनुसार लागू हिस्सा राशि एवं प्रवेश शुल्क राशि बैंक में जमा करवाये जाने हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे।

(10) आवेदकों द्वारा निर्धारित हिस्सा राशि एवं सदस्यों के प्रवेश शुल्क जमा करवाये जाकर बैंक स्टेटमेंट की प्रति अपलोड की जायेगी।

www.rajteachers.com

(11) आवेदकों द्वारा निर्धारित हिस्सा राशि एवं सदस्यों के प्रवेश शुल्क जमा करवाये जाकर बैंक स्टेटमेंट की प्रति अपलोड कर दिये जाने के पश्चात् पंजीकरण अधिकारी द्वारा सोसाइटी के पंजीयन संबंधी कार्यवाही की जावेगी तथा सोसाइटी का पंजीयन कर पंजीयन प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत उपविधियां आवेदन को ऑनलाईन उपलब्ध करवाई जावेंगी, जिन पर पंजीकरण अधिकारी के डिजिटल–हस्ताक्षर होंगे।

(12) ऑनलाईन आवेदन के प्रस्तुतिकरण, उसे संबंधित कार्मिक को हस्तान्तरित करने, ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का आक्षेप, यदि कोई हो, हिस्सा राशि जमा कराने तथा पंजीकरण हो जाने संबंधी सभी सूचनायें आवेदकों की एस.एस.ओ. आई.डी एवं पंजीकृत मोबाईल पर एस.एम.एस. तथा ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावेंगी।

(13) ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन हो जाने पर आवेदक संबंधित पंजीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त कार्यकारिणी की सूची, संस्था के सदस्यों की सूची, उपविधियों एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति ऑनलाईन प्राप्त कर सकेगा, जिन पर क्यू.आर. कोड भी अंकित होगा। कोई भी व्यक्ति उस क्यू.आर. कोड को स्कैन करके यह जानकारी प्राप्त कर सकेगा कि यह दस्तावेज किस प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है।

(ii) <u>आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची –</u>

(1) सभी आवेदक सदस्यों एवं समिति (संचालक मण्डल) सदस्यों के आधार अथवा भामाशाह कार्ड संख्या

(2) सोसाइटी की उपविधियां

(3) हिस्सा राशि एवं प्रवेश शुल्क बैंक में जमा किये जाने के बाद बैंक स्टेटमेंट की प्रति।

(4) सोसाइटी के सदस्यों की सूची (यथास्थान उपलब्ध प्रोफार्मा में अपलोड की जानी है)

(5) यदि सोसाइटी की कोई सदस्य समिति है, तो ऐसी सदस्य समिति की ओर से हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का विवरण। (अपलोड किया जाना है)

(6) सेवा सहकारी समितियों के मामले में कमजोर वर्ग की सूची (अपलोड की जानी है)

(7) समिति के आर्थिक रूप से सक्षम होने संबंधी कार्ययोजना (अपलोड की जानी है)

(8) साधारण बैठक का कार्यवाही विवरण (अपलोड किया जाना है)

(9) सोसाइटी का तुलन पत्र (यथास्थान उपलब्ध एक्सेल शीट में अपलोड किया जाना है)

www.rajteachers.com

(iii) समय सीमा का निर्धारण –

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 6(1) के प्रावधानानुसार आवेदन प्रस्तुत किये जाने के साठ दिन के भीतर–भीतर यथाविहित वर्ग या उपवर्ग के अधीन सोसाइटी की उपविधियों सहित सहकारी सोसाइटी का पंजीकरण संबंधित पंजीकरण अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

Registration of Co-operative Society under the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001/ राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी का पंजीकरण

A. Society Details / सोसाइटी विवरण

Name of Proposed Society/ प्रस्तावित सोसायटी का नाम*
ASHISH

Society Type/ सोसाइटी का प्रकार*
--Select Society Type--

Business/ व्यवसाय*
ENTER BUSINESS DETAILS

Liability/ दायित्व*
--Select Society Type--

Liability of a Member in case of a LTD Society/ परिसीमित सोसाइटी होने पर सदस्यों का दायित्व*
ENTER ENTER LIABILTY OF A MEMBER OF SOCIETY

Class of the Proposed Society/ प्रस्तावित सोसाइटी का वर्ग*
-- Select Class --

Subclass of the Proposed Society/ प्रस्तावित सोसाइटी का उपवर्ग*
--Select SubClass--

Total Number of Members applying for the Society/ सोसायटी के आवेदक सदस्यों की कुल संख्या*
ENTER TOTAL NUMBER OF MEMBERS OF THE SOCIETY

Upload List of Members of the Society/ सोसाइटी के सदस्यों की सूची अपलोड करें (File Type - EXCEL upto 5MB)*
DOWNLOAD (Suggestive Format/ अनुशन्सित प्रारूप) Choose File No file chosen

Entrance Fees Collected/ एकत्रित प्रवेश शुल्क*
ENTER ENTRANCE FEES COLLECTED

Value of One Share/ एक अंश का मूल्य*
ENTER VALUE OF ONE SHARE

Paid up Share Capital/ प्रदत्त अंश पूँजी*
ENTER PAID UP SHARE CAPITAL

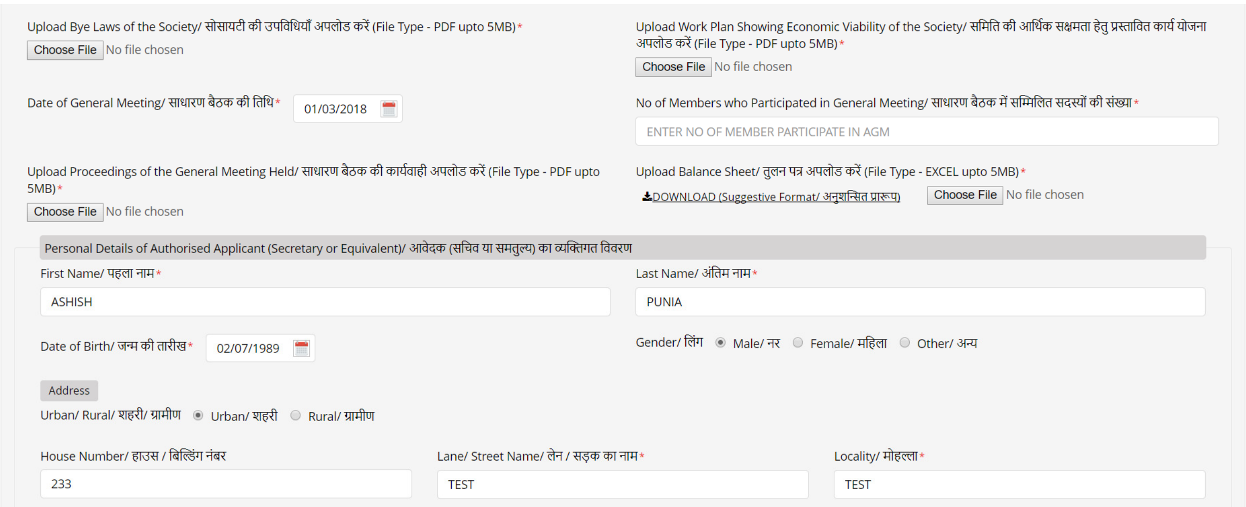
Upload Bye Laws of the Society/ सोसायटी की उपविधियाँ अपलोड करें (File Type - PDF upto 5MB)*
Choose File No file chosen

Upload Work Plan Showing Economic Viability of the Society/ समिति की आर्थिक सक्षमता हेतु प्रस्तावित कार्य योजना अपलोड करें (File Type - PDF upto 5MB)*
Choose File No file chosen

Date of General Meeting/ साधारण बैठक की तिथि* 01/03/2018

No of Members who Participated in General Meeting/ साधारण बैठक में सम्मिलित सदस्यों की संख्या*
ENTER NO OF MEMBER PARTICIPATE IN AGM

Upload Proceedings of the General Meeting Held/ साधारण बैठक की कार्यवाही अपलोड करें (File Type - PDF upto 5MB)*
Choose File No file chosen

Upload Balance Sheet/ तुलन पत्र अपलोड करें (File Type - EXCEL upto 5MB)*
DOWNLOAD (Suggestive Format/ अनुशन्सित प्रारूप) Choose File No file chosen

Personal Details of Authorised Applicant (Secretary or Equivalent)/ आवेदक (सचिव या समतुल्य) का व्यक्तिगत विवरण

First Name/ पहला नाम*
ASHISH

Last Name/ अंतिम नाम*
PUNIA

Date of Birth/ जन्म की तारीख* 02/07/1989

Gender/ लिंग ◉ Male/ नर ○ Female/ महिला ○ Other/ अन्य

Address

Urban/ Rural/ शहरी/ ग्रामीण ◉ Urban/ शहरी ○ Rural/ ग्रामीण

House Number/ हाउस / बिल्डिंग नंबर
233

Lane/ Street Name/ लेन / सड़क का नाम*
TEST

Locality/ मोहल्ला*
TEST

State/ राज्य*
RAJASTHAN

District/ जिला*
JAIPUR/ जयपुर

City/ शहर *
JAIPUR/ जयपुर

Ward/ वार्ड *
WARD NO- 10/ वार्ड न: - 10

PIN Code/ पिन कोड*
302017

Telephone Number With STD Code/ एसटीडी कोड के साथ टेलीफोन नंबर
ENTER TELEPHONE NUMBER WITH STD CODE

Fax Number With STD Code/ एसटीडी कोड के साथ फैक्स नंबर
ENTER FAX NUMBER WITH STD CODE

Mobile/ मोबाइल*
9828517711

E-Mail Address/ ईमेल पता*
ASHISHPUNIA88@GMAIL.COM

Details of Registered Office of the Society/ सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय विवरण

Urban/ Rural/ शहरी/ ग्रामीण ◉ Urban/ शहरी ○ Rural/ ग्रामीण

House/ Building Number/ हाउस / बिल्डिंग नंबर
233

Lane/ Street Name/ लेन / सड़क का नाम*
TEST

Locality/ मोहल्ला*
TEST

State/ राज्य
RAJASTHAN

District/ जिला*
JAIPUR/ जयपुर

City/ शहर *
JAIPUR/ जयपुर

Ward/ वार्ड*
-- Select Ward --

PIN Code/ पिन कोड
302017

Area of Operations of the Society/ सोसाइटी का कार्यक्षेत्र*
AREA OF OPERATIONS OF THE SOCIETY

B. Details of the Designated Office Bearers of the Society/ सोसायटी के नामित पदाधिकारियों का विवरण

Verification Add Remove

Sl. No./ क्र.सं	Post/ पद	Aadhaar No/ आधार संख्या	Photo/ चित्र	Name/ नाम	Complete Address/ पूर्ण पता	Gender/ लिंग	DOB/ जन्म तिथि	Occupation/ व्यवसाय	Action
1	PRESIDENT/ अध्य	AADHAAR NUI		NAME	COMPLETE ADDRESS	GENDER	DOB	OCCUPATIC	☑
2	SECRETARY/ सचि	AADHAAR NUI		NAME	COMPLETE ADDRESS	GENDER	DOB	OCCUPATIC	☑
3	TREASURER/ कोष	AADHAAR NUI		NAME	COMPLETE ADDRESS	GENDER	DOB	OCCUPATIC	☑
4	POST	AADHAAR NUI		NAME	COMPLETE ADDRESS	GENDER	DOB	OCCUPATIC	☑
5	POST	AADHAAR NUI		NAME	COMPLETE ADDRESS	GENDER	DOB	OCCUPATIC	☑
6	POST	AADHAAR NUI		NAME	COMPLETE ADDRESS	GENDER	DOB	OCCUPATIC	☑
7	POST	AADHAAR NUI		NAME	COMPLETE ADDRESS	GENDER	DOB	OCCUPATIC	☑
8	POST	AADHAAR NUI		NAME	COMPLETE ADDRESS	GENDER	DOB	OCCUPATIC	☑
9	POST	AADHAAR NUI		NAME	COMPLETE ADDRESS	GENDER	DOB	OCCUPATIC	☑
10	POST	AADHAAR NUI		NAME	COMPLETE ADDRESS	GENDER	DOB	OCCUPATIC	☑

11	POST	AADHAAR NUI		NAME	COMPLETE ADDRESS	GENDER	DOB	OCCUPATIC	✓
12	POST	AADHAAR NUI		NAME	COMPLETE ADDRESS	GENDER	DOB	OCCUPATIC	✓
13	POST	AADHAAR NUI		NAME	COMPLETE ADDRESS	GENDER	DOB	OCCUPATIC	✓
14	POST	AADHAAR NUI		NAME	COMPLETE ADDRESS	GENDER	DOB	OCCUPATIC	✓
15	POST	AADHAAR NUI		NAME	COMPLETE ADDRESS	GENDER	DOB	OCCUPATIC	✓

I do hereby declare and state that -
1- All the information given in application form is correct according to the record of the proposed society;
2- All the office bearers and members of the first Committee of the proposed society have been elected from amongst the members of the General Body in its meeting held and there is no dispute in it;
3- Byelaws presented with the application for registration have been unanimously accepted by the General Body;
4- The proposed byelaws are in consonance with the provisions of the Rajasthan Cooperative Societies Act, 2001 and Rules, 2003.
5- Proceedings of the General Body meeting held has been recorded in the proceeding register which can be produced before registering authority in original;
I, do hereby verify that the contents of the above declaration are true and correct to the best of my knowledge. Nothing material has been concealed from being disclosed and no part of it is false.

मैं, एतद्द्वारा, घोषणा करता हूँ कि -
1- उक्त आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनायें सोसाइटी के अभिलेख एवं मेरी जानकारी में सही हैं।
2- प्रस्तावित सोसाइटी की प्रथम समिति (संचालक मण्डल) के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य सोसाइटी के साधारण निकाय की बैठक में चुने गये हैं तथा उक्त समिति के संबंध में कोई विवाद नहीं है।
3- पंजीकरण आवेदन पृत्र के साथ प्रस्तुत उपविधियां सोसाइटी की साधारण बैठक में सर्वसम्मति से अंगीकार की गई हैं।
4- प्रस्तुत उपविधियां सहकारिता अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुरूप हैं।
5- साधारण निकाय की बैठक का कार्यवाही विवरण सोसाइटी के कार्यवाही रजिस्टर में अभिलिखित कर लिया गया है, जिसे पंजीकरण अधिकारी के समक्ष मूल में प्रस्तुत किया जा सकता है।
मैं/हम सत्यापित करते हैं कि उपरोक्त कथन मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।

☐ **I/we do hereby declare that the above statement is true and correct to the best of my/our knowledge and belief./ मैं / हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त कथन मेरे / हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है|**

Partial Save | Save | Close

www.rajteachers.com

Flowchart for Online Application Approvals at Departmental Level

For Registration under Rajasthan Societies Act 1958

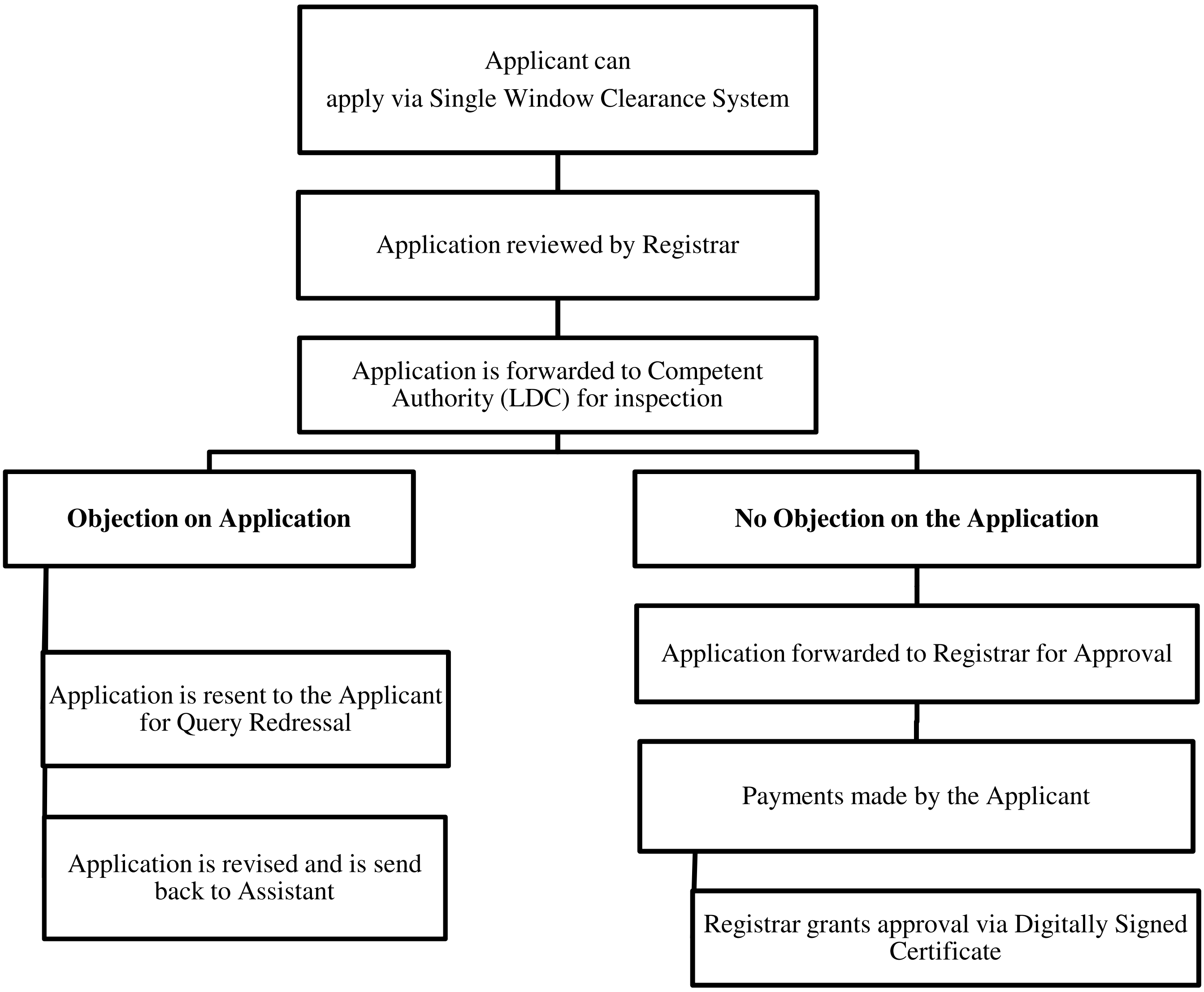

www.rajteachers.com